

20/9/25

पभावती पेस डूरी आ. पत्र से संयोजित

पभावती माननीय न्यायालय RAA में विचारणीय
है। माननीय न्यायालय के निर्णय होने तक क्व
पभावती तलब नहीं हो सकती है अरु!

उक्त आ. पत्र को माननीय न्यायालय RAA
के निर्णय तक ड्रॉप किया जाता है। यदि
माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात कोर्ट
के अलावा उक्त आ. पत्र में शेष रह जाता है
तो प्राथमिक उक्त आ. पत्र पर पुनः सुनवाई
करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पभावती डूरी
रुटर पर ड्रॉप किया गया शामिल रुटर की
जाती है।

उप-निर्देश अधिकारी
करौली (राजग.)